कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्याः–774/1जी–FP/UK/MIN/20690/2016 देहरादूनः दिनांकः 03 सितम्बर, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–नैनीताल में रनसाली रेंज, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी, नन्धौर/कैलाश नदी के 468.00 है0 वन भूमि से उपखनिज चुगान हेतु वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति दिया जाना। FP/UK/MIN/20690/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव उप खनिजों के चुगान से सम्बन्धित होने के कारण सहमति की दशा में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी–FP/UK/MIN/20690/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
4. जिलाधिकारी, जनपद–नैनीताल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः जनपद–नैनीताल में रनसाली रेंज, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी, नन्धौर/कैलाश नदी के 468.00 है0 वन भूमि से उपखनिज चुगान हेतु वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति दिया जाना। FP/UK/MIN/20690/2016

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)ः

उपरोक्त योजना हेतु तराई पूर्वी वन प्रभाग में 468.00 है0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त उप खनिज चुगान हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी तथा वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0 लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहरः
तिथि : 03 /09/2016
स्थान : देहरादून